न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 69 /2024

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सुधीर कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0.
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण

2. श्री मनीराम सहू –वकील प्रति 1

निर्णय

दिनांक :– 22.3.2024

वादी सुधीर कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 05/03/2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी व प्रतिवादी सं 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादी सं 1 आपस मे सगे भाई है वादी व प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 1.771है ब.हि.ब कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है। कि वादी व प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 1.771है ब.हि.ब कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 की विरासतन प्राप्त भूमि है उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया है। मुताबिक घरू विभाजन वादी को उक्त खाता चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 1.771है कृषि भूमि हक व हिस्सा मे आई है। व प्रतिवादी स 1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि टिब्बी तहसील मे प्राप्त कर लिया है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। की प्रतिवादी संख्या 2 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। कि वाद पत्र बाबत घोषणा का हैं जो उचित 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधिकार में है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें। (क) कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 0.8855 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:25
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार राजस्व संगरिया का ज्वाब दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। शाक्ष्य वादी मे वादी ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा जं.बं चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 व विरास्तन इतंकाल स 722 प्रदर्श 2 है। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 0.8855 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावें । प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व विरासतन इतकाल दस्तावेज प्रदर्श 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 0.8855 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:27:25
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 69/2024

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

सुधीर कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0.
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 22.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां .वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 16 एफ.टी.पी ज.स 2073–2076 के खाता स 259/161 मे 0.8855 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X.... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....22.3.2024.... जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena

Date: 2024.04.26 11:27:25 IS

Reason: SelfAttested